UPME010042572025

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01, मेरठ
उपस्थित :– राकेश कुमार –पंचम .....(एच०जे०एस०)
JO Code No. – UP–6155
दाण्डिक निगरानी सं०–185 सन् 2025

जगशरण सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी इन्दिरा कालोनी वार्ड नं०–1, हस्तिनापुर थाना हस्तिनापुर जिला मेरठ।

... ... निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. अतुल कुमार पुत्र जगशरण सिंह वर्तमान निवासी तैनाती बतौर कान्सटेबल थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

... ... विपक्षीगण

उपस्थित :– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जे०के० गौतम, एडवोकेट
विपक्षी सं०–01 की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री पद्म सिंह
विपक्षी सं०–2 की ओर से कोई उपस्थित नही है।

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्ड़िक निगरानी दाण्डिक विविध वाद सं०–6256 सन 2024, जगशरण सिंह बनाम अतुल कुमार अंर्तगत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ में विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2– इस निगरानी के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी बाढ पीडित गरीब कम–पढ़ा लिखा दलित व्यक्ति है। प्रार्थी को पाच सन्ताने है। पांचो सन्तानो की प्रार्थी ने शादी कर दी है। प्रार्थी के पास अपनी आजीविका चलाने हेतु मजदूरी के अलावा कोई आय का साधन नहीं है। प्रार्थी की आयु लगभग 60 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है। दिनांक 1.12.2024 को प्रार्थी अपने घर पर था, तभी विपक्षी अपनी पत्नी अंजली व साली नैना के साथ घर आता है और अपने माता–पिता को गंदी–गंदी गाली गलौच करता है तथा कहता है कि उसकी लैटरीन,

बाथरूम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। प्रार्थी ने कहा कि वह अपनी अलग लैटरीन, बाथरूम बना लेंगे, इस पर विपक्षी द्वारा पूर्व नियोजित योजना से ग्रसित होकर ईट उठाकर लैटरीन, बाथरूम में तोडफोड शुरू कर दी और बुरी तरह से ध्वस्त कर दी, फिर छत पर रखी पानी की टंकी को तोडने के लिए चला। प्रार्थी व उसकी पत्नी के विरोध करने पर विष्क्षी ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की। प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित किा गया कि प्रार्थी को विरासत में मिली अपने पिता से तीन बीघा जोत की जमीन को सन् 1990 में अंकन दस हजार रूपये बीघा के हिसाब से बेचकर इंदिरा कालोनी में कुल 460 वर्ग गज जमीन किसी तरह से खरीदी थी, जिसका वह अपनी सन्तानो में बंटवारा भी कर चुका है, जिस पर ये चारो काबिज है, लेकिन विपक्षी, प्रार्थी के हिस्से पर भी जबरदस्ती छल, कपट व बेईमानी से कब्जाना चाहता है। विपक्षी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है। यह अपने माता–पिता को नियमित रूप से भरण–पोषण हेतु खर्चा भी नहीं देता है। जबकि वह अपनी ससुराल वालो को अंकन 10 हजार रूपये प्रतिमाह खर्चे के लिए दे रहा है। विपक्षी, उसकी पत्नी अंजली व सुनील कुमार के आपराधिक कार्यों को भलीभांति जानते है। प्रार्थी ने उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने एव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3– विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया गया है।

4– निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से प्रश्नगत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 विधि विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन नही किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण वाद सं0 6256/2024 थाना हस्तिनापुर मेरठ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ में घर मे घुसकर मारपीट करने व लैटरीन बाथरूम में तोडफोड करने व निगरानीकर्ता के मकान को छल, कपट एवं बेईमानी से विपक्षी द्वारा कब्जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया था, जिसको माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2025 को पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किये बिना खारिज कर दिया गया। विपक्षी सं०–2 दिनांक 01.12.2024 को अपनी पत्नी अंजली व साली नैना के साथ बाईक पर छुटटी लेकर घर आया और अपने माता पिता को गन्दी गन्दी गाली गलौच करने लगा तथा लैटरीन, व बाथरूम अलग बनाने के लिए कहने लगा और गुस्से में आकर ईंट उठाकर लैटरीन, बाथरूम में तोडफोड करने लगा तथा छत पर रखी पानी की टंकी को तोडने से रोकने पर विपक्षी ने निगरानीकर्ता व उनके परिवार के साथ गन्दी गन्दी गाली गलौच की व मारपीट की और कहने लगा कि मैने बहुतों को ठीक किया है, मैं पुलिस में हूं मेरा कोई कुछ नही बिगाड सकता। निगरानीकर्ता को अपने पिता से तीन बीघा जमीन जोत की विरासत में मिली थी जिसे निगरानीकर्ता ने सन् 1990

में 10,000 रूपये बीघा के हिसाब से बेचकर इंदिरा कालोनी में कुल 460 वर्गगज जमीन किसी तरह खरीदा था जिसका निगरानीकर्ता ने अपने मर्जी से अपनी संतानों में बंटवारा कर दिया था, उक्त विपक्षी सं0–2 निगरानीकर्ता के हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। उक्त विपक्षी सं0–2 पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है जिसका वो नाजायज फायदा उठाता रहता है तथा निगरानीकर्ता की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने अनेको प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी महोदय व थाना हस्तिनापुर में दिये थे, परन्तु विपक्षी सं0–2 के पुलिस विभाग में होने के कारण कोई कार्यवाही नही हुई, जिसका विपक्षी सं0–2 गलत तरीके से फायदा उठाता है और निगरानीकर्ता के साथ मारपीट व गन्दी गन्दी गाली गलौच करता है। निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी.एन.एस.एस. माननीय अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य के आधार पर कि प्रकरण जमीन पर कब्जा किये जाने विवाद से सम्बन्धित है जो कि सिविल प्रकृति का है, निरस्त कर दिया गया है, जोकि विधि विरूद्ध है तथा आदेश दिनांक 23.01. 2025 निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को सम्यक रूप से परिशीलन नही किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षी सं०–2 के द्वारा निगरानीकर्ता के साथ गाली गलौच करने व मारपीट करने, घर में घुसकर लैटरीन, बाथरूम को तोडफोड करने के सम्बन्ध में तथा निगरानीकर्ता की सम्पत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिया गया था. माननीय अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2025 पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अवर न्यायालय का आदेश मनमाने ढंग से व विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया है, जोकि अपास्त किये जाने योग्य है। विपक्षी सं०–2 के द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की गयी तथा निगरानीकर्ता की लैटरीन, बाथरूम को जबरदस्ती तोडफोड किया गया तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता के मकान को छल कपट, बेईमानी से जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गयी, जो कि संज्ञेय अपराध है, माननीय अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का सम्यक परिशीलन किये बिना विधि विरूद्ध व मनमाना आदेश पारित किया है, जो कि खण्डित होने योग्य है। प्रश्नगत निगरानी के माध्यम से अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 23.01.2025 को अपास्त किये जाने तथा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– निगरानीकर्ता की ओर से अपनी निगरानी के समर्थन में प्रश्नगत आदेश की सत्य प्रतिलिपि को दाखिल किया गया है।

6– विपक्षी सं०–01 की ओर से विद्धान सहा० शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत निगरानी के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही की गयी है अपितु निगरानी का मौखिक रूप से विरोध करते हुये प्रश्नगत आदेश को विधिक रूप से पारित करना बताते हुए निगरानी को सारहीन व बलहीन होने का कथन किया गया है तथा निगरानी को निरस्त करने की याचना की गयी है।

7– विपक्षी सं०–2 नोटिस के उपरांत भी निगरानी न्यायालय में उपस्थित नही आया है और न ही उसकी ओर से निगरानी का प्रतिवादन किया गया है।

8– बहस के स्तर पर निगरानीकर्ता, निगरानी न्यायालय के समक्ष बहस हेतु उपस्थित नही आया है। निगरानीकर्ता को बहस हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया किन्तु निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के परिप्रेक्ष्य में बहस नही की गयी। अतः विपक्षी सं०–1 की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

9– निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त कर दिया गया है।

10– निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी के माध्यम से कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन नही किया गया है और उसके द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

11– प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता एवं विपक्षी सं0–2 आपस में पिता–पुत्र हैं और दोनों के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद है ऐसा उल्लेख स्वंय विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 में किया गया है जो इस प्रकार है किः–

> " प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी, विपक्षी अतुल कुमार के पिता है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर यह आरोप लगाया गया कि विपक्षी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर उसकी लैटरीन, बाथरूम को तोड दिया। आगे यह भी वर्णित किया गया कि विपक्षी, प्रार्थी के हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रकरण जमीन पर कब्जा किये जाने के विवाद से सम्बन्धित प्रतीत हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण दीवानी प्रकृति का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपराधिक रंगत देने हेतु दिया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार बनाम एम० के० आयप्पा (2013) एस०सी०सी0 705** में यह सम्मानित विधि व्यवस्था दी है कि धारा 156 (3) सी० आर० पी० सी० के प्रार्थना पत्र पर जब मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाये तो उक्त आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 173 (4) बी० एन० एस० एस० स्वीकार किये जाने का आधार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र तद्नुसार निस्तारित करते हुए निरस्त किये जाने योग्य है।"

(i) इस प्रकार प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष आपस में पिता–पुत्र हैं और दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद है व यह विवाद दीवानी प्रकृति का है। इसके

साथ–साथ निगरानीकर्ता लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित भी नही आ रहा है। दिनांक 14–08–2026 को निगरानीकर्ता को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया किन्तु दिनांक 18–08–2026 को भी उसके द्धारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्ट नही किया गया कि विद्धान विचारण न्यायालय के द्धारा प्रश्नगत आदेश पारित करने क्या वैधानिक त्रुटि कारित की गयी है।

12– उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्धान विचारण न्यायालय के द्धारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को निरस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि अथवा अनियमितता कारित नही की गयी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्धान विचारण न्यायालय द्धारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई न्यायिक आधार नही पाया जाता है।

13– उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली के सम्यक् अवलोकन उपरांत यह निगरानी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में, आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा लिये गये आधारों में कोई सार नही है तथा निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 185 सन् 2025 बलहीन व सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। विद्धान विचारण न्यायालय द्धारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23–01–2025 पुष्ट किया जाता है।

निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक–21.08.2026

(राकेश कुमार– पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–21.08.2026

(राकेश कुमार– पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference for authentic copy please refer to certified copy only.